भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2991

06 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

कब्रिस्तान और श्मशान घाटों का प्रबंधन

†2991. श्री परषोत्तमभाई रुपालाः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देशभर में कब्रिस्तान, श्मशान घाट और अंत्येष्टि संबंधी अन्य अवसंरचना की उपलब्धता, क्षमता और वैज्ञानिक प्रबंधन का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के समन्वय से वैज्ञानिक योजना, जीआईएस आधारित मानचित्रण, कब्रिस्तानों और श्मशान गृहों की सुरक्षा और प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का अतिक्रमण को रोकने और भूमि प्रबंधन में सुधार करने के लिए ऐसी सुविधाओं की एक राष्ट्रीय डिजिटल सूची तैयार करने और इसे पीएम गति शक्ति जैसे प्लेटफार्मों के साथ एकीकृत करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ, वैज्ञानिक रूप से प्रबंधित अंत्येष्टि प्रणालियों, पर्यावरण के अनुकूल पद्धतियों और जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल को बढ़ावा देने के लिए किए गए/किए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ): भारत के संविधान की बारहवीं अनुसूची की प्रविष्टि **14** के अनुसार, कब्रिस्तानों, श्मशान भूमियों, श्मशान गृहों और विद्युत शवदाह गृहों का प्रावधान एवं प्रबंधन शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के कार्य हैं, जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा ऐसे कार्यों के हस्तांतरण के अध्यधीन हैं। शहरी नियोजन, भूमि उपयोग का विनियमन, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन भी बारहवीं अनुसूची के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को सौंपे गए कार्य हैं।

भारत सरकार नीतिगत सहयोग, तकनीकी मार्गदर्शन और शहरी विकास पहलों के माध्यम से राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरी एवं क्षेत्रीय विकास योजनाओं का निर्माण और कार्यान्वयन दिशानिर्देश, **2014** प्रकाशित किए हैं, जो क्षेत्रीय, विकासात्मक और स्थानीय क्षेत्र योजनाओं की तैयारी के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं, जिसमें मौजूदा सामाजिक एवं भौतिक अवसंरचना का आकलन, भविष्य की आवश्यकताओं का अनुमान, सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक उपयोगों के लिए भूमि का स्थानिक आवंटन तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित योजनाओं की तैयारी शामिल है। अध्याय **8**–अवसंरचना नियोजन के खंड **8.6**–विविध सुविधाएं में श्मशान घाट/कब्रिस्तान के लिए मानकों का प्रावधान किया गया है। राज्य और शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) ऐसी सुविधाओं को अपनी वैधानिक मास्टर योजनाओं, विकास योजनाओं, जोनल योजनाओं और स्थानीय क्षेत्र योजनाओं में शामिल कर सकते हैं तथा शहरी नियोजन प्रक्रिया के भाग के रूप में जीआईएस-आधारित मानचित्रण और उनकी क्षमता का आवधिक आकलन कर सकते हैं।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) और अमृत **2.0** के अंतर्गत जीआईएस-आधारित उप-योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है, जिनके अंतर्गत **"**श्मशान घाट/कब्रिस्तान/ग्रेवयार्ड**"** को मौजूदा भूमि उपयोग की विशेषता के रूप में मैप किया जाता है।

दोनों जीआईएस उप-योजनाओं के अंतर्गत, जीआईएस प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए भू-स्थानिक डेटाबेस तैयार किए जा रहे हैं। अमृत जीआईएस उप-योजना के अंतर्गत, मई **2016** में प्रकाशित आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के डिजाइन एवं मानकों के अनुसार मैपिंग के लिए **1:4000** स्केल पर बहुत उच्च रिजॉल्यूशन सैटेलाइट (वीएचआरएस) इमेजरी का उपयोग किया जाता है, जबकि अमृत **2.0** जीआईएस उप-योजना के अंतर्गत, बेस लेयर्स तैयार करने के लिए मई **2016** में प्रकाशित आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के डिजाइन एवं मानकों के अनुसार **1:4000** स्केल पर वीएचआरएस इमेजरी तथा अक्टूबर **2020** में प्रकाशित आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के डिजाइन एवं मानकों के अनुसार **1:1000** स्केल पर ड्रोन/यूएवी प्रौद्योगिकी, दोनों का उपयोग किया जा रहा है। इन बेस लेयर्स का उपयोग करते हुए जीआईएस-आधारित मास्टर प्लान तैयार किए जा रहे हैं। दोनों जीआईएस उप-योजनाओं में **"**श्मशान घाट/कब्रिस्तान/ग्रेवयार्ड**"** को शहरी भूमि उपयोग लेयर के अंतर्गत निर्दिष्ट स्केल पर मैप करने का प्रावधान किया गया है। अब तक, अमृत शहरों के लिए जीआईएस-आधारित मास्टर प्लान तैयार करने संबंधी अमृत उप-योजना के अंतर्गत **437** शहरों के लिए अंतिम भू-स्थानिक डेटाबेस तैयार किए जा चुके हैं। **404** शहरों के लिए ड्राफ्ट मास्टर प्लान तैयार किए गए हैं, जिनमें से **292** शहरों के मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिया जा चुका है। और अमृत **2.0** के अंतर्गत **50,000-99,999** जनसंख्या वाले श्रेणी-**II** कस्बों के लिए जीआईएस-आधारित मास्टर प्लान तैयार

करने संबंधी उप-योजना के अंतर्गत, वर्तमान स्थिति के अनुसार **399** कस्बों के लिए ड्राफ्ट भू-स्थानिक डेटाबेस तैयार किए गए हैं, जिनमें से **100** को अंतिम रूप दिया जा चुका है। **136** कस्बों के लिए ड्राफ्ट मास्टर प्लान तैयार किए गए हैं, जिनमें से **93** को अंतिम रूप दिया जा चुका है।

अमृत और अमृत **2.0** जीआईएस उप-योजनाओं के अंतर्गत तैयार किए गए जियो-डेटाबेस को पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। अब तक, उप-योजना के अंतर्गत **343** शहरों के लिए तैयार किए गए जियो-डेटाबेस को पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है।

उप-योजनाएं जीआईएस प्रौद्योगिकी के माध्यम से साक्ष्य-आधारित नियोजन और शहरी अवसंरचना के प्रबंधन में सहायता प्रदान करती हैं। तथापि, पर्यावरणीय रूप से स्थायी अंतिम संस्कार प्रणालियों, पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं और जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल से संबंधित उपाय संबंधित राज्य सरकारों और अन्य संबंधित प्राधिकरणों के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।
